न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 45/2019

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 2401, जनरल थिम्मया रोड (ईस्ट स्ट्रीट), कन्टोनमेन्ट पुणे– 411001, कन्ज्यूमर डिविजन निगम कार्यालय, 34, जी एन चेटी रोड, टी नगर चैन्नई–600017, क्षेत्रीय कार्यालय 5 वीं मंजिल यूनिक एसपायर बिल्डिंग आम्रपाली सर्किल के पास क्विंन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पुरूषोतम।

–– प्रार्थी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार निवासी मण्ड्रेला बाईपास, वार्ड नम्बर 27 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

–– ऋणी

2. सुभाषचन्द पुत्र श्री भगवानाराम निवासी सोती तहसील व जिला झुंझुनू।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गगत धारा 14 वित्तिय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

––

उपस्थितः–

1 एडवोकेट श्री मधुसूदन शर्मा (इंडसइंड बैंक) –..... प्रार्थी बैंक की ओर से।
2 एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.07.2019

प्रार्थी इंडसइंड बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी सं0 2 ने बतौर सह ऋणी प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड से दिनांक **28.10.2014** को ऋण अनुबन्ध सं0 **आरसीजे 00026 डी** निष्पादित कर **10,00,000/–** रूपये **(अक्षरे दस लाख रूपये मात्र)** का ऋण लिया था, अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण अनुबन्ध संख्या **आर सी जे 00026 डी** के अन्तर्गत लिये गये ऋण व उसके ब्याज के पूर्ण भुगतान सिक्योरिटी के रूप मे प्रार्थी बैंक से ऋण अनुबन्ध सं0 **आरजेएच 00693 डी** के अन्तर्गत ऋणित वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18GA2668 चेसिस नम्बर MB1TLMJB99RZA4048, इंजन नम्बर ZXH591391 एवं मॉडल AL TRACTOR 4921 प्रार्थी इंडसंइड बैंक लिमिटेड के पक्ष मे बंधक किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी को उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और ऋण के भुगतान मे व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थीगण का खाता एन0पी0ए0 घोषित कर दिया। अप्रार्थीगण के ऋण खाते मे मय ब्याज दिनांक **30.06.2018** तक रूपये **7,70,977/–** देय निकलते है और इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक **11.07.2018** को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को नही दिया गया। अप्रार्थीगण ने धारा 13 (2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस मे वर्णित अवधि मे देय

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को नही किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 की धारा के प्रावधान 14 के अनुसार प्रार्थी बैंक चरण सं0 2 मे वर्णित प्रत्याभूत संपति का श्रीमान् के द्वारा कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश इस आशय का फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 मे वर्णित प्रत्याभूत वाहन का कब्जा जहां कहीं भी स्थित/प्रयोग मे हो उस क्षेत्र से प्रार्थी को स्वयं, ऐजेन्ट या नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे, यह भी आदेशित किया जावे कि आवश्यकता होने पर वाहन जहां कहीं भी स्थित/प्रयोग मे हो उस क्षेत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक स्वयं या अपने मातहत से वाहन का कब्जा पुलिस बल द्वारा अप्रार्थीगण से प्राप्त करे तथा कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रत्याभूत वाहन का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करे दिलाने के आदेश पारित फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा जबाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक ने जिस वाहन के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उस वाहन नम्बर **आरजे 18 जीए 2668** की सम्पूर्ण ऋण अदायगी बैंक को कर चुका है। बैंक को ऋण की अदायगी करने पर प्रार्थी ने एन.ओ.सी. चाही जिस पर उन्होने एन.ओ.सी. जारी नही की जिसके लिए प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला फोरम उपभोक्ता विवाद निवारण झुंझुनू में दिनांक 11.06.2018 को एक परिवाद प्रस्तुत किया जो आज भी विचाराधीन है। इसके अलावा बैंक ने उक्त सुनिल कुमार के खिलाफ माननीय जिला एवं सेशन जज साहब झुंझुनू के न्यायालय में वसूली हेतु एक इजराय प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, जो भी विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक ने उपरोक्त सभी तथ्यों को छिपाकर व न्यायालय श्रीमान जी को मुगालते देकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिनियम के अनुसार गारंटर की सम्पति के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता केवल ऋणी की सम्पति के लिए ही इस अधिनियम की धारा 13 (4)(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है न कि गारंटर की सम्पति के लिए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ऋण भुगतान की राशि चुकाने में विफल रहें है जिसके रूप में प्रार्थी बैंक को बंधक की गई सम्पति का कब्जा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। परन्तु प्रार्थी बैंक द्वारा अलग –अलग न्यायालय में उक्त प्रकरण की बाबत वाद दायर कर रखे है जो विधि सम्मत् नहीं है। एक ही प्रकरण की बाबत विभिन्न न्यायालयों में वाद विचारधीन हो ऐसा न्यायालय की दृष्टि में सही नहीं ठहराया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थी बैंक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन चल रहे वाद में अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू